

th,Qvkj 142 vlg 144 eal akksu

1429- Mm/mfnr jkt%

D;k I kelftd U;k; vlg vf/kdkfjrk ea-h ; g crkusdh dik djksfd%

1/2 D;k I kelftd U;k; vlg vf/kdkfjrk ea-ky; Is iLrko u feyus ds dkj.k Ijdkjh vuqdkdrk@vki firZrk@vki fufonkva ea vuq fir tkfr@vuq fir tutkfr dks vkj{k.k nns dsfy, foUk ea-ky; th,Qvkj 142 vlg 144 dks l akks/kr ugha dj I dk(

1/4 ; fn gk rks , s iLrko dks ughaHksts tkus ds D;k dkj .k g

1/2 ea-ky; }kjk th,Qvkj 142 vlg 144 dks l akks/kr djus ds fy, iLrko ea ea-ky; }kjk l feefyr fd, tkusokys iLrkfor vkj{k.k dk ifr'kr D;k g

1/2 D;k dN jkT; Ijdkjh vuqdkdrk@vki firZrk@vki fufonkva ea vuq fir tkfr@vuq fir tutkfr dks vkj{k.k inku dj jgs g vlg ; fn gk rks rI akh C; k D;k g vlg

1/3 bl eqs l s l ak/kr tuojh 2015 rd ikr ohvkbh fl Qkfj'kka ij ea-ky; }kjk D;k dkj bkbz dh xbz g

mUkj

I kelftd U;k; vlg vf/kdkfjrk jkt; ea-h
Wh fot ; I ki yk

(क) से (ग) : मंत्रालय का कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय से जीएफआर 142 तथा 144 को संशोधित करने के लिए अनुरोध करने का नहीं है। तथापि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) की नई सार्वजनिक प्रापण नीति, जिसे 23.3.2012 को अधिसूचित किया गया था, में एमएसई से कुल 20% प्रापण में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों से चरणों में 20% प्रापण के उप-लक्ष्य का प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल, 2015 से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से कम से कम 20% समग्र प्रापण का लक्ष्य अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ): मध्य प्रदेश सरकार, वर्ष 2002 से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उद्यमियों से सरकारी खरीद के कम से कम 30% भाग की खरीद करने की नीति को क्रियान्वित कर रही है।

(ङ): जनवरी, 2015 में विशिष्ट व्यक्ति का एक संदर्भ प्राप्त हुआ था और संबंधित सदस्य को अप्रैल, 2015 में सूचना भेज दी गई थी।
